न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.
राजस्व वाद संख्याः 234/2022 दायर दिनाँक 16.06.2022

वादीगण
1. मुनीम पुत्र सुल्तान खॉ, उम्र 55 वर्ष,
2. रूस्तम पुत्री सुल्तान खॉ, उम्र 60 वर्ष,
3. खातुन बानों पत्नि सदीक, उम्र 64 वर्ष,
4. सजना बानो पत्नि श्रीहकीम, उम्र 60 वर्ष,
समस्त जाति भाट, निवासीयान फोगड़ी, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण
1. युनुस पुत्र श्री हकीम,
2. मुमताज पुत्र श्री हकीम,
3. सराज पुत्र श्री हकीम,
4. आलम पुत्र श्री सदीक,
5. रजब पुत्र श्री सदीक, समस्त जाति भाट, निवासीगण फोगड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत्
बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा, एडवोकेट वकिल वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी मुनीम, रूस्तम व वादीनी खातुन बानों के पति सदीक व वादीनी सजना बानों के पति हकीम चारों सगे भाई थे, जिनमें से सदीक व हकीम की मृत्यु हो चुकी है। स्व0 हकीम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 है तथा स्वर्गीय सदीक के वारिसान प्रतिवादी संख्या 04 व 05 है।

खेत खसरा संख्या 160 रकबा 1.8400 हैक्टर वाके सरहद फोगड़ी स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी मुनीम, रूस्तम, स्वर्गीय सदीक व स्वर्गीय हकीम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की नकल वाद के साथ पेश है।

वादीगण संख्या 01 व 02 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिताओ ने अपने जीवनकाल में ही उक्त खेतो का आपस में मौखिक बंटवारा कर लिया था, जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 160 रकबा 1.8400 हैक्टर में से 1/4 हिंस्सा अर्थात 0.4600 हैक्टर उतरी दिशा की वादीगण मुनीम के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा मुनीम के चिपते ही उकत खेत में से 1/4 हिंस्सा अर्थात 0.4600 हैक्टेयर वादी संख्या 03 सदीक के बंट व कब्जा काश्त में आयी, जिस पर सीदक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि वादी संख्या 03 खातुन बानो व प्रतिवादी संख्या 04 वव 05 [illegible] खेत में से 1/4 हिंस्सा अर्थात 0.46 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 04 के [illegible] के बंट में आयी, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद उसकी [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 काबिज है तथा इसी प्रकार बंट में [illegible] अपने अपने हिंस्सो पर अबाध रूप से काबिज चले आ रहे है। वादी रूस्तम व स्व0 हकीम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

हिंस्से में उनके रिहायशी मकान बने हुये है। इस बंटवारा को वादीगण ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है। जो व ाद का भाग है, नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। उक्त खेत का मौखिक रूप से तो बंटवारा काफी अर्से पहले ही कर लिया था, लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से काश्त के समय व सरकारी सहायता आदि लेने में भारी असुविधा होती है, ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त खेत का कानूनी रूप से बंटवारा करवाना चाहते है। जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी है। अतः वादी को दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी आया है। दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा दावा अन्दर मयाद है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 02 व 06 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तथा प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04, 05 ने जरिये अधिवक्ता कमलेश कुमार के ईकबाली जबाब पेश किया, जिसे शामिल किया गया। शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का पेश हुआ।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादीगण ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वर्तमान खेत खसरा संख्या 160 रकबा 1.8400 हैक्टर वाकै सरहद फोगड़ी का वाद के फिकरा संख्या 03 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर R.A.S. डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक **25.08.2022** को खुले इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर R.A.S. डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 234/2022 दायर दिनाँक 16.06.2022

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. मुनीम पुत्र सुल्तान खॉ, उम्र 55 वर्ष, 2. रूस्तम पुत्री सुल्तान खॉ, उम्र 60 वर्ष, 3. खातुन बानों पत्नि सदीक, उम्र 64 वर्ष, 4. सजना बानो पत्नि हकीम, उम्र 60 वर्ष, समस्त जाति भाट, निवासीयान फोगड़ी, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. युनुस पुत्र श्री हकीम, 2. मुमताज पुत्र श्री हकीम, 3. सराज पुत्र श्री हकीम, 4. आलम पुत्र श्री सदीक, 5. रजब पुत्र श्री सदीक, समस्त जाति भाट, निवासीगण फोगड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत्
बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक 25.08.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, एडवोकेट वकिल वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वर्तमान खेत खसरा संख्या 160 रकबा 1.8400 हैक्टर वाकै सरहद फोगड़ी का वाद के फिकरा संख्या 03 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। वसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.08.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			[illegible]		
बावत इजराय			हुक्मन[illegible]		
हुक्मनामा			[illegible]		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:54 IST
Reason: SelfAttested

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फर्[illegible] का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner